समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में नियमित रूप से की जाती है तथा जहां कहीं कोई कमियां नजर आती है, वहां उपचारात्मक उपाय सुझाए जाते है । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के सभी अनुभागों तथा सम्बद्ध कार्यालयों का निरीक्षण भी समय-समय पर किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है ।

(ख) कुछ फाइलों में टिप्पणियां/प्रारूप हिन्दी में लिखे जाते है ।

(ग) इस मंत्रालय के अधीन कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उपस्कर का नाम	रोमन	हिन्दी	द्विभाषिक	योग
इलैक्ट्रिक/ इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर	8	--	2	10
टेलीप्रिंटर	--	--	--	--
टैलैक्स मशीन	2	--	--	2
ऐड्रेसोग्राफ्स	2	--	--	2
बर्ड प्रोसैसर्स	2*	--	--	2
कम्प्यूटर्स	8*	3	--	11

*मंत्रालय द्वारा नहीं खरीदे गए एन.आई.सी. द्वारा लगाए गए ।

राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

1654. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है ;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है ; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलैक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री बीरेन सिंह इंगती**) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस नए मंत्रालय में केवल पांच फाईलों में हिन्दी में काम हो रहा है ।

(ग) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम नहीं है ।

(घ) सूचना निम्नानुसार है :--

उपस्कर का नाम	संख्या	अंग्रेजी	हिन्दी	द्विभाषी
1. कम्प्यूटर	9	9	--	--
2. टेलैक्स	1	1	--	--
3. टेलीप्रिंटर	1	1	--	--